अध्याय VI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

6.1 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को ₹3.26 करोड़ का अनियमित भुगतान

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत नहीं शामिल योजनाओं के संबंध में अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन के कारण से डीबीटी संव्यवहारों हेतु ₹3.26 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश[1] दिया (मई 2017) कि सभी डीबीटी तथा पीएएचएएल संव्यवहारों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से किया जाना है। मौजूदा एनपीसीआई परिपत्र के अनुसार प्रत्येक संव्यवहार के लिए ₹0.50 की एक संव्यवहार लागत देय होगा जिसे प्रायोजक बैंकों, गंतव्य इकाईयों तथा एनपीसीआई के बीच बांटा जाना है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी एनआरईजीए, मातृत्व लाभ तथा पेंशन योजनाओं के लिए एनपीसीआई को एक अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन {(₹5.00 प्रति संव्यहार का एक स्थिर घटक तथा ₹0.50 प्रति सैकड़ा का एक अस्थिर घटक (संव्यवहार राशि अगले सैक़डे तक पूर्णांकित, अधिकतम ₹5.00 के अधीन)} भी देय होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने निजि क्षेत्र के लिए दिसम्बर 2017 से एएसएचए प्रोत्साहन, परिवार नियोजन प्रतिपूर्ति योजना, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), निक्षय-जनजातीय टीबी मरीज, निक्षय डीओटी प्रदायक मानदेय तथा निक्षय-टीबी अधिसूचना प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) माध्यम से भुगतान किया। केवल जेएसवाई (मातृत्व लाभ योजना) ही अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन के भुगतान हेतु योग्य थी।

मंत्रालय की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच महीनों (जनवरी 2018 से मई 2018) में एमओएचएफडब्ल्यू ने उसके द्वारा प्रदान की गई सभी योजनाओं को संबंधित संव्यवहारों पर ₹ पांच प्रति संव्यवहार के

[1] ओ.एम.सं. 32(07)/पीएफ-।। (खण्ड-।।) दिनांक 26 मई 2017

अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन का भुगतान किया। जैसा कि यह प्रोत्साहन केवल मातृत्व लाभ अर्थात "जननी सुरक्षा योजना" से संबंधित संव्यवहारों पर देय था, सभी योजनाओं को इस प्रोत्साहन का भुगतान अनियमित था। फलस्वरूप, इसका परिणाम ₹5.00 प्रति संव्यवहार के स्थिर संघटक के कारण से कुल ₹1.68 करोड़ का अधिक भुगतान रहा **(अनुलग्नक-6.1)**।

इसके अतिरिक्त, एमओएचएफडब्ल्यू ने प्रोत्साहन के अस्थिर संघटक के कारण से भी ₹2.24 करोड़ का भुगतान किया। जैसा कि इस संघटक का योजनावार ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध की गई फाइलों में प्राप्त नहीं हुआ था, लेखापरीक्षा ने अस्थिर संघटक के कारण से ₹1.20 करोड़ के अधिक भुगतान का परिकलन किया **(अनुलग्नक-6.2)।**

अत: मंत्रालय ने एमओएफ के मौजूदा अनुदेशों के उल्लंघन में डीबीटी संव्यवहारों के कारण कुल ₹2.88 करोड़ के अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान किया। ऐसे मामले मंत्रालय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

सूचित किए जाने पर (मार्च 2020), एमओएचएफडब्ल्यू ने स्वीकार किया (नवम्बर 2020) कि जनवरी 2018 से मई 2018 तक की अवधि हेतु प्रस्तुत किए गए बिल में जेएसवाई के अलावा अन्य योजनाओं हेतु नकद प्रोत्साहन सम्मिलित थे, जिसका परिणाम ₹3.26 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जिसको जनवरी 2019 तथा अगस्त 2020 के बीच की अवधि हेतु कुल ₹14.47 करोड़ के एनपीसीआई के बकाया बिलों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।